न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शेखी बनाम देवी वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 303/2025 (पुष्कर)

(निर्णय 14/7/25)

श्री एन0एस0राजावत

19.06.2025	शेखी बनाम देवी वगैरह (2025/303) यह अपील श्री एन0एस0 राजावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 01.07.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
01.07.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 14.07.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
14.07.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 01.07.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद बावत निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मूल अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विस्तृत जवाब दिनांक 07.06.2023 को मय दस्तावेजी साक्ष्य के विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के साथ ही विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के साथ ही आदेश 39 नियम 3 ए सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना किये जाने तथा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2023 की अवधि का विस्तार नहीं किये जाने हेतु निवेदन किया गया, साथ ही मूल राजस्व वाद संख्या 19/2023 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए वाद की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी गई, इस प्रकार प्रार्थीगण के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण में सुनवाई नहीं कर आदेश 39 नियम 3 ए सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2023 की अवधि का विस्तार किये जाने के साथ ही अप्रार्थी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
शेखी बनाम देवी वगैरह
किस्म मुकदमा—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 303/2025 (पुष्कर)

—श्री N.S राठौड़ PP

निरन्तर.....

संख्या 01 लगायत 05 को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के आशय से निरन्तर पेशीयां प्रदान की जा रही है, इस कारण प्रार्थीगण को एकपक्षीय आदेश दिनांक 28.04.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है, इस प्रकार अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित, पर्याप्त एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित, पर्याप्त एवं सद्‌भाविक एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद एवं वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जिसे दिनांक 06.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 28.04.2023 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर सुना जाकर अंतरिम स्थगन आदेश आगामी पेशी तक जारी किये गये। उक्त अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2023 को अपील प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 19.12.2023 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को 3 सप्ताह में अंतिम रूप से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से दिनांक 18.08.2023 को जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। दिनांक 23.08.2023 से 06.06.2025 तक प्रार्थना पत्र को अकारण ही राज्य सरकार के जवाब में नियत कर लगातार तारीख पेशीयां दी जा रही है। राज्य सरकार प्रफोर्मा पक्षकार है तथा यदि प्रकरण में उनकी ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा है तो सरकार का जवाब बंद कर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए था। जो कि उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनियमितता एवं उदासीनता प्रकट की जा रही है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ

लगातार.....

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शेखी बनाम देवी वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 303/2025 (पुष्कर)

—श्री N.S राणावत PJ.

प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि राज्य सरकार को जवाब पेश करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जावें एवं यदि राज्य सरकार जवाब प्रस्तुत नहीं करे तो उनका जवाब बंद कर प्रकरण में अंतिम बहस सुनकर 2 सप्ताह में गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner